न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 101/2021 बउनवानी काशी सिंह बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी पुत्र श्री सुरजन सिंह राजपूत निवासी मच्छीपुरा तहसील गंगापुर सिटी

GCMS No-2021/295

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
08.12.2021	

पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं मलारना डूँगर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 1.9.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. दिनांक 10.8.2021 को उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी महो.प्रकरण स्थल रास्ता गै.मु. ख0न0 281 ग्राम मच्छीपुरा उपतहसील तलावडा तहसील गंगापुर सिटी पधारे एवं मौके का अवलोकन कर प्रार्थी को हुक्म प्रदान किया कि प्रार्थी जो कहना चाहे उसे लेखबद्व करावे उस लेखबद्व की सत्यप्रति दिलाने की कृपा करे। जो श्रीमान भू.अ.निरीक्षक कुनकटा कलां श्री भगवान सहाय मीना द्वारा लेखबद्व किये गये है।
2. श्रीमान द्वारा मौका मुआवना स्वंय द्वारा न्यायहित मे किया अथवा प्रार्थी द्वारा उच्चस्तर पर की गयी कोई पुकार पर मिले कष्ट पर किया जिसकी सत्यप्रति दिलावे।
3. श्रीमान द्वारा स्वंय कृपा अथवा उच्च स्तर से कष्ट पर की गयी कृपा की तहरीर की छायाप्रति सत्यप्रति दिलाने की कृपा करे।
4. प्रार्थी का प्रकरण 150/13 का भी पेदल कष्ट कर अवलोकन किया जिस पर भी कोई कृपा न्यायहित मे की हो वह भी जानकारी दिलाने की कृपा करे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकःसूकाअ/2021/68 दिनांक 29.11.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 01.09.2021 के बिन्दु संख्या 1 लागयत 4 की सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है जिसके संबंध मे स्वंय अपीलान्ट द्वारा दिनांक 22.11.2021 को लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त सूचना प्राप्त हो जाना अवगत कराया है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 1.9.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 लगायत 4 की सूचना उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी द्वारा उपलब्ध करवायी जा चुकी है जिसकी पुष्टि स्वंय अपीलान्ट द्वारा दिनांक 22.11.2021 को उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को प्रेषित प्रार्थना पत्र से हो जाती है। जिसमे अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील संख्या 101/2021 से संबंधित सूचना प्राप्त होना बताया गया है। चूंकि अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना उचित समझता हूँ। परिणाम स्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली [illegible] हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2022.01.17 18:00:45 IST
Reason: SelfAttested

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर